पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 737

==========

अजय कुमार, पुत्र-नागेश्वर पासवान, ग्राम का निवासी- सकरा-फरीदपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, पटना, बिहार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (पुलिस शाखा), बिहार सरकार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना।
6. पुलिस महानिरीक्षक (मध्य रेंज), बिहार पटना।
7. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।
8. पुलिस अधीक्षक, नगर (पश्चिम)-सह-जांच अधिकारी।

.....प्रतिवादीगण

==========

बिहार पुलिस नियमावली, 1978-नियम 853 ए-दंड-वृद्ि-आरोप की रचना में ही निहित गलती थी, क्योकि यह पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर तैयार किया गया था एक कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के पूर्व ही उसके दोष को मान लिया गया या अनुमानित दिया गया दोष के ऐसे अनुमान में कानून की कोई स्वीकृति नहीं है एवं यह संविधान में अनुच्छेद 21 का उल्लंधन करता है याचिकाकर्ता की मौजूदगी में विभागी साक्षियों की जॉच पडताल नहीं की गई एवं उसे प्रति-परीक्षण का अवसर नहीं दिया गया-कारण बताने का अवसर के बगैर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया अपील के लंबित रहने के दौरान, पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर ध्यान दिए बगैर दंड में वृद्ि का अादेश पारित कर दिया पुलिस माहानिदेशक ने महानिरीक्षक का भार स्वयं पर लिया एवं आगे बढकर आदेश पारित किया जिसे पुलिस नियमावली के तहत निर्धारित प्राधिकार द्वारा पारित किया हुआ नहीं कहा जा सकता है-यह महानिरीक्षक है जिसे नियम 853 ए के तहत दंड की समीक्षा करना एवं कारण बताओं प्राप्त करने के लिए कारवाई करने केलिए प्राधिकृत किया गया है-जब एक कानेन किसी विशेष तरीके से कोई कार्य करना निर्धारित करना है, तो वह उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं-

-आक्षेपित आदेश रदद् किया जाता है-याचिकाकर्ता सभी नतीजनन राहत का हकदार होगा-पुलिस माहानिदेशक बिहार को निर्देश जारी किया गया कि पत्र सं-63 की कंडिका 3 का पुनः अवलोकन करे, जब आरोप तैयार किये जाने एवं एक स्वतंत्र जॉच पडताल किए जाने के पूर्व ही थाना प्रभारी एवं चौकिदार के खिलाफ दोष मान लेता है एवं पूर्व-निर्णय लेता है। (कंडिका सं. 21 से 25, 27 से 30 एवं 34 से 41)

ए.आई.आर 1975 एस सी 915, 2019 (2) पी एल जे आर 293 (एफ बी) भरोसा किया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 737

==========

अजय कुमार, पुत्र-नागेश्वर पासवान, ग्राम का निवासी- सकरा-फरीदपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, पटना, बिहार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (पुलिस शाखा), बिहार सरकार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना।
6. पुलिस महानिरीक्षक (मध्य रेंज), बिहार पटना।
7. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।
8. पुलिस अधीक्षक, नगर (पश्चिम)-सह-जांच अधिकारी।

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : सुश्री निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री रंजीत कुमार यादव, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिएः श्री अजय कुमार, जी पी-4 के ए सी

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

तिथि: 05-05-2023

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार यादव और राज्य के लिए विद्वान जी.पी.-4 के ए सी श्री अजय कुमार की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री निवेदिता निर्विकर को सुना।

2. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ज्ञापन संख्या 8716, दिनांकित 30.08.2022 में निहित आदेश का रद्द करने की मांग कर रहा है, जो प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा जारी किया गया, जिसके द्वारा आदेश के खिलाफ, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी समीक्षा ज्ञापन संख्या-63, दिनांकित-22.01.2022 को खारिज कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश संख्या - 207/2021, दिनांकित 30.07.2021 की समीक्षा की, जो विभागीय कार्यवाही संख्या-08/2021 में पारित किया गया, उसे दरकिनार करें और याचिकाकर्ता को मूल वेतन में पांच साल के लिए उप-निरीक्षक के पद पर वापस करने की सजा दी और याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के अलावा और कुछ भी पाने का हकदार नहीं होगा, याचिकाकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण) द्वारा पारित 05.01.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए आगे प्रार्थना करता है, जिन्होंने आदेश संख्या 207/2021 दिनांकित 30.07.2021 के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया था।

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

3. याचिकाकर्ता को 17.04.2020 से 30.11.2020 की अवधि के बीच कंकड़बाग पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक-सह-स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उनकी अवधि के दौरान, बिहार पुलिस मुख्यालय (निषेध और उत्पाद शुल्क प्रकोष्ठ) की

एक संयुक्त केंद्रीय टीम द्वारा अवैध शराब की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया था।

4. यह कहा गया है कि 25.11.2020 को, में छापा मारा गया था उक्त छापे में सड़क संख्या 14, अशोक नगर, पटना में अजय रॉय उर्फ लुल्हा की पर संख्या 14/124 25 लीटर देशी शराब (महुआ) बरामद की गई। एक मामला कंकड़बाग थाना केस नं. 911/2020 बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए) के तहत पंजीकृत किया गया था।

याचिकाकर्ता का निलंबन और विभागीय कार्यवाही शुरू करना

5. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा जारी पत्र सं 1325 दिनांक 29.11.2022 द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश जारी किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता सूचना एकत्र करने और उत्पाद-शुल्क अधिनियम के तहत निषेध के कार्यान्वयन में विफल रहा, जो उसकी निष्क्रियता और लापरवाही को दर्शाता है और वह शराब व्यापारियों पर नियंत्रण रखने में अक्षम पाया गया है।

6. पटना जिला आदेश सं. 4818/2020 के माध्यम से, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। तदनुसार, उन्हें निलंबित कर दिया गया और ज्ञापन संख्या 379 दिनांक 10.12.2020 (अनुलग्नक '3') के माध्यम से उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

7. जाँच के दौरान, दो गवाहों, गौतम कुमार और दिनेश कुमार मिश्रा, जो क्रमशः ए.एस.आई. और एस.आई. थे, से पूछताछ की गई, उन्होंने ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 03.02.2021 और ज्ञापन संख्या 3506 दिनांक 30.11.2020 में निहित पत्र को साबित

किया। यह कहा गया है कि पत्र सं 34 दिनांक 03.02.2021 आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया था और यह याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया था।

8. यह कहा गया है कि जांच अधिकारी ने ज्ञापन संख्या 1165 दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके बाद, केंद्रीय क्षेत्रीय आदेश संख्या 207/2021 दिनांक 30.07.2021 के माध्यम से याचिकाकर्ता पर गैर-संचयी प्रभाव के साथ एक वृद्धि को रोकने का दंड लगाया गया जो दो काले निशान के बराबर होगा। यह भी आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता अपने निर्वाह भत्ते के अलावा निलंबन की अवधि के लिए किसी भी भुगतान का हकदार नहीं होगा।

9. सजा के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण) बिहार, पटना के समक्ष दायर एक अपील को खारिज कर दिया गया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को उप पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), बिहार, पटना द्वारा जारी रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक '9' के माध्यम से पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत कारण बताए जाने का नोटिस दिया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि पुलिस नियमावली के नियम 853ए के तहत 30.07.2021 के सजा आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर अपना कारण बताने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तदनुसार अपना कारण दिखाएं जिसके बाद ज्ञापन सं. 63 दिनांक 27.01.2022 (अनुलग्नक '10'), के माध्यम से पुलिस महानिदेशक ने 30.07.2021 दिनांकित के दंड आदेश को दरकिनार किया और याचिकाकर्ता की सजा को बढ़ाया। याचिकाकर्ता को मूल वेतन पर पाँच साल के लिए उप-निरीक्षक के पद पर वापस भेज दिया गया था और आगे यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता अपने निर्वाह भत्ते के अलावा कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य के अलावा कि दस्तावेजों में से एक ज्ञापन संख्या 34 दिनांकित 03.02.2021 है। याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के साथ या जांच के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया था, तथ्य यह है कि जांच के दौरान विभाग ने इस आरोप को साबित करने के लिए एक भी गवाह पेश नहीं किया कि निष्क्रियता और लापरवाही के कारण, याचिकाकर्ता जानकारी एकत्र करने में विफल रहा और निषेध को लागू नहीं कर सका।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि 25 लीटर देशी शराब की बरामदगी के एक मामले के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा बनाई गई राय की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

12. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के दौरान याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारी के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी ताकि उसे गवाहों से जिरह (प्रति-परीक्षण) करने का अवसर दिया जा सके। याचिका की प्रति को रिट आवेदन के अनुलग्नक '6' के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस नियमावली का नियम 853 ए महानिरीक्षक को किसी भी मामले में संचिका की मांग करने और उचित समय के भीतर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन उक्त नियम पुलिस महानिदेशक को सजा बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंड की समीक्षा करने का निर्णय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान लिया गया है, वह भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी सिफारिश के बिना।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस महानिदेशक के आदेश के आलोक में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी पुलिस महानिरीक्षक, मध्य क्षेत्र, पटना ने केंद्रीय क्षेत्रीय आदेश संख्या 49/2022 दिनांक 11.02.2022 (अनुलग्नक '11') जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता की अपील को अपील की योग्यता में गए बिना खारिज कर दिया गया।

15. याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग (पुलिस शाखा) के समक्ष एक संशोधन दायर किया, लेकिन इसे रिट आवेदन के अनुलग्नक '13' में निहित 30.08.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। एक समीक्षा आवेदन भी दायर किया गया है लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया है।

16. एक पूरक शपथ पत्र दाखिल करके याचिकाकर्ता ने अपील की पूरी प्रति और पुनरीक्षण आवेदन की प्रति रिकॉर्ड में लाई है जो क्रमशः अनुलग्नक '8' और '12' हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 30.07.2021 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर अपील को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांकित 05.01.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है और इसे पुलिस अधीक्षक (सी) आपराधिक जांच विभाग, पटना का ज्ञापन संख्या 206 दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है। याचिकाकर्ता की अपील को एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने पहले ही सजा का आदेश दरकिनार कर दिया है और एक नया आदेश पारित कर दिया है।

<u>अवैध शराब की बरामदगी के मामलों में 'दोषी माने जाने' की अवधारणा पेश की गई।</u>

17. प्रस्तुतियों के दौरान, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के ध्यान में एक पत्र लाया है जो सं. 63 (01 क्रियान्यवयन) 2019-20-1296 मधनिषेध दिनांक 24.11.2020 पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों (रेल), बिहार

को लिखा गया। यह कहा गया है कि इस पत्र के केवल अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि पैराग्राफ '3' में यह कहा गया है कि अवैध शराब की बरामदगी के मामले में, संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी और चौकीदार को जानकारी एकत्र न करने और आवश्यक कार्रवाई न करने के लिए दोषी पाए जाने पर उनकी विफलता और निष्क्रियता के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी इस पत्र के पैराग्राफ '3' में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए कोई अन्य राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और शराब की बरामदगी के किसी भी मामले में संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी और चौकीदार के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा मुक्त और स्वतंत्रत दिमाग के अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है।

<u>राज्य का रुख</u>

19. राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हो गए थे, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के साथ-साथ बिहार पुलिस नियमावली के नियम 853ए के तहत पुलिस महानिदेशक द्वारा शक्ति के प्रयोग में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

<u>सोच-विचार</u>

20. याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह न्यायालय सबसे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ध्यान देगा जो इस प्रकार हैंः

"(2) द्वितीय भाग– अवचार एवं कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री अजय कुमार, जब कंकड़बाग थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे तो दिनांक – 25.11.2020 को बिहार पुलिस मुख्यालय (मद्यनिशेध प्रभाग), बिहार, पटना के संयुक्त केन्द्रीय टीम के नेतृत्व में अवैध शराब की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान पटना जिला के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अजय रय उर्फ लूल्हा पिता स्व0 बिन्दा राय, स0–अशोक नगर, रोड नं0– 14, मकान नं0– 14/124 थाना– कंकड़बाग, जिला– पटना के घर पर छापामारी कर कुल 25 लीटर सं0 – 911/2020 दिनांक – 25.11.2020 धारा –30(क) बिहार मद्य निशेध एवं उत्पाद अधि0, 2016 दर्ज किया गया है।

2. बिहार में पूर्ण भाराबबंदी लागू होने के बावजूद कंकड़बाग थाना क्षेत्र में भाराब भट्ठी/फैक्टी का संचालन/अवैध रूप से शराब की बिक्री होना, थाना क्षेत्र के एक ही स्थान (अशोक नगर) से बार–बार मुख्यालय टीम के द्वारा अवैध शराब की बरामदगी करना, इनका आसूचना संकलन में पूर्णयप से विफलता का परिचायक है।

3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्र सं0– 481/विशेष संयुक्त अभि0) 2020 1325/मद्यनिशेध (गो0) दिनांक 29.11.2020 द्वारा पु0नि0 अजय कुमार, थानाध्यक्ष कंकड़बाग, पटना को मद्यनिशेध कानून के क्रियान्वयन एवं आसूचना संकलन में बरती गयी उदासीनता, घोर लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से सामान्य

जीवन–यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया है।

4. उक्त से स्पश्ट है कि श्री अजय कुमार द्वारा कर्तव्य के दौरान मद्यनिशेध कानून के क्रियान्वयन एवं आसूचना संकलन में घोरलापरवाही बरतते हुए सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका–31/411/2 का उल्लंघन किया गया है।

ह0/–

(संजय सिंह)

पुलिस महानिरीक्षक,

केन्द्रीय क्षेत्र, पटना"

21. रिट आवेदन के अनुलग्नक '5' में निहित जांच रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि जांच के दौरान विभाग की ओर से दो गवाहों को पेश किया गया था। पहला गवाह सहायक उप-निरीक्षक गौतम कुमार हैं, जिन्होंने ज्ञापन संख्या में 34 दिनांकित 03.02.2021 पुलिस महानिरीक्षक, मध्य रेंज, पटना के हस्ताक्षर साबित किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक मध्य रेंज के हस्ताक्षर की पहचान को छोड़कर, इस गवाह के बारे में जांच रिपोर्ट में और कुछ नहीं कहा गया है। इसी तरह पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा ने ज्ञापन संख्या 13506 दिनांकित 30.11.2020 पर श्री कान्तेश कुमार मिश्रा आई. पी. एस. और पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना के हस्ताक्षर साबित कर दिए हैं।

22. रिट आवेदन के पैराग्राफ '17' में याचिकाकर्ता द्वारा एक विशिष्ट बयान दिया गया है कि उसने एक याचिका दायर कर जांच अधिकारी से अनुरोध किया है कि उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाए, लेकिन उसे वह अवसर नहीं दिया गया। जवाब में, उक्त बयानों का कोई खंडन नहीं है।

23. इस न्यायालय ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उद्धृत एकमात्र मामला कंकड़बाग थाना मामला सं. 911/2020 है। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि याचिकाकर्ता कंकड़बाग पुलिस थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री के संबंध में जानकारी एकत्र करने में कैसे विफल रहा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया गया है कि उसी और एक स्थान (अशोक नगर) से बार-बार अवैध शराब की बरामदगी की गई है। जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के बचाव के बयान पर ध्यान दिया है कि 17.04.2020 से 30.11.2020 पर पोस्टिंग की अवधि के दौरान, उसने अवैध शराब जब्त की थी और कई मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 2023 की प्रासंगिक अवधि जो मात्र 71/2 महीना का, के दौरान उक्त क्षेत्र में तैनात किया गया था। जाँच रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि जाँच अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश के सामने खुद को बहुत कठिन स्थिति में पाया जैसा कि उसके पत्र संख्या 63 (01 क्रियान्वयन) 2019-20-1296 महानिषेध दिनांक 24.11.2020 जो स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि किसी भी पुलिस थाना क्षेत्र से अवैध शराब की बरामदगी के मामले में, संबंधित थाना प्रभारी को दोषी ठहराया जाएगा। जाँच रिपोर्ट का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः पृष्ठ सं. 11/20 में हिन्दी में छपे कंडिका को टंकित करना है।

> "बिहार पुलिस मुख्यालाय (मद्यनिशेध प्रभाग) बिहार, पटना का पत्र सं0– 63 (क्रियान्वयन) 2019–20–1296/मद्यनिशेध, दिनांक 24.11.2020 में यह स्पश्ट आदे"ा दिया गया है कि यदि किसी थाना क्षेत्र में राज्य/जिला स्तर से प्रतिनियुक्त छापामारी दल के द्वारा अवैध भाराब की बरामदगी की जाती है तो ऐसे मामलों में संबंधित थानाध्यक्ष एवं चौकीदार पर असूचना संकलन नहीं करने तथा आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के लिए दोशी मानते हुए उनके विफलता एवं निश्क्रयता के लिए कठोर

कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्गत आदेश के बावजुद कंकड़बाग थाना क्षेत्र से मद्य निशेध में गठित संयुक्त टीम द्वारा छापामारी कर भाराब की बरामदगी की गयी।"

24. इस अदालत ने आगे पाया कि अभिलेख में उस रिट आवेदन का अनुलग्नक '6' है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रेंज, पटना के ध्यान में लाया है कि जांच के दौरान विभागीय गवाहों के बयान उनकी अनुपस्थिति में दर्ज किए गए हैं और उन्हें गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने रिट आवेदन के पैराग्राफ '17' में इस संबंध में विशिष्ट बयान दिया है, लेकिन प्रत्यर्थियों ने जांच अधिकारी के आदेश-पत्रक के रूप में जवाबी हलफनामे के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया है, जो यह दर्शाता है कि गवाहों से याचिकाकर्ता की उपस्थिति में पूछताछ की गई थी। वास्तव में, उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसे याचिकाकर्ता के रुख के खंडन के रूप में लिया जाना चाहिए।

25. इस न्यायालय ने आगे पाया कि रिट आवेदन के पैराग्राफ '19' में एक विशिष्ट बयान है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 30.07.2021 (अनुलग्नक '7') के दंड का आदेश पारित करने से पहले कोई दूसरा कारण बताएँ नोटिस नहीं दिया गया था।

26. इस न्यायालय ने रिट आवेदन के अनुलग्नक '7' का अवलोकन किया है। अनुलग्नक '7' के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दिनांकित 30.07.2021 (अनुलग्नक '7') आदेश का क्रियात्मक भाग निम्नानुसार हैः पृष्ठ सं.-12/20 की कंडिका 26 में हिंदी में छपे कंडिका को टंकित करना है।

"उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संगत अभिलेखों एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच निश्कर्श प्रतिवेदन के अध्ययनोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निश्कर्श से सहमत होने का पर्याप्त आधार हैं चूँकि अपचारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित हुआ है, अतः अपचारी पु0नि0 अजय कुमार को दोशी पति हुए उसके विरूद्ध असंचयी प्रभाव से एक वर्श के लिए वार्शिक वेतन–वृद्धि समपहरण का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। जिसका मान दो कलांक (02) के समतुल्य होगा।"

27. अनुलग्नक '7' में निहित आदेश को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण दिखाने का कोई अवसर दिए बिना केवल जांच अधिकारी की राय ली है। इस न्यायालय की राय में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है और इसने याचिकाकर्ता के मामले को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया है।

28. इस अदालत ने आगे पाया कि पुलिस महानिदेशक ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश की समीक्षा करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया, याचिकाकर्ता को बिहार पुलिस नियमावली के नियम 853ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। रिट आवेदन के अनुलग्नक '10' में निहित पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित आदेश के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि कारण दर्शाएँ नोटिस जारी करने के नाम पर उसने केवल एक खाली औपचारिकता की है। उक्त आदेश हालांकि इस तथ्य पर ध्यान देता है कि याचिकाकर्ता ने 21.10.2021 को कारण बताएँ नोटिस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस न्यायालय की राय में, पुलिस महानिदेशक को अनुलग्नक '10' में निहित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाए गए हर संभव आधार पर विचार करना चाहिए था, याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार न करने से उसका आदेश

कानूनी रूप से खराब हो जाएगा। बिहार पुलिस नियमावली के नियम 853 ए को तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला जा रहा हैः

> "853 ए. (ए) महानिरीक्षक किसी भी मामले में संचिका की मांग कर सकते हैं, भले ही कोई अपील न हो और ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो वह उचित समझे। उप महानिरीक्षक किसी भी संचिका की मांग कर सकता है लेकिन उसे अपने आदेश के लिए अपनी सिफारिश के साथ इसे महानिरीक्षक के पास भेजना चाहिए। विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश की तारीख से उचित समय के भीतर उपरोक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
>
> (बी) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद राज्य सरकार अनुशासनात्मक मामला में कार्यवाही की मांग कर सकती है। तब भी जब कोई अपील या आवेदन-पत्र नहीं होता है, और ऐसा आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।
>
> (सी) जब कोई अपील दायर की जाती है और महानिरीक्षक विचार कर समझता है कि उसे सजा बढ़ानी चाहिए, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही उस आदेश में उल्लेख करना चाहिए कि नियम 853 ए (ए) में दी गई शक्तियों के अनुसार, उसने वृद्धि के लिए इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है और जहां आवश्यक हो, कारण दिखाने आदि प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है। "

29. उपरोक्त नियम को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि यह महानिरीक्षक है जिसे इस नियम के तहत किसी भी मामले में संचिका की मांग करने के लिए अधिकृत किया गया है और जब कोई अपील दायर की गई है और महानिरीक्षक विचार करने पर समझता हैकि उसे सजा बढ़ानी चाहिए, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे एक आदेश दर्ज करना होगा कि नियम 853 ए (ए) के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार उसने

वृद्धि के लिए इसकी समीक्षा करने और कारण दिखाने के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया था। कानून में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से कुछ करने के लिए निर्धारित करता है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस संबंध में **वकीलों द्वारा रामचंद्र केशव एडके (मृत) बनाम गोंविंद जोति चावरे एवं अन्य ए.आई.आर. 1975 एस.सी 915** में प्रतिवेदित किया गया मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। कंडिका 25 तत्काल संदर्भ के लिए नीचे निकाला जा रहा है:-

> "25. एक सदी पहले, टेलर बनाम टेलर (1875) में 1 सी एच डी 426 जेसल, एम. आर. ने यह नियम अपनाया था कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, तो काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं और प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से निषिद्ध किया जाता है। यह नियम समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह प्रिवी काउंसिल द्वारा नजीर अहमद बनाम सम्राट 63 इंड ऐप 372 = ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 (2) प्रयोग किया गया था में और बाद में इस अदालत द्वारा कई मामलों में, शिव बहादुर सिंह बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 1098 = (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322 = 1954 एस. सी. आर. 1098 = 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 910; दीप चंद बनाम राजस्थान राज्य, (1962) 1 एस. सी. आर. 662 = (ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1527) = (1961) 2 सी. आर. आई. एल. जे. 705) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 164 और 364 के तहत अभिलेख बनाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया था। यह नियम बिल्कुल से लागू होता है "जहां, वास्तव में, विधायिका का पूरा उद्देश्य और मकसद स्पष्ट रूप से विफल हो जाएगा यदि किसी विशेष तरीके से काम करने का आदेश किसी अन्य में ऐसा करने के लिए निषेध का संकेत नहीं देता है। मैक्सवेल की क़ानूनों की व्याख्या, 11 वीं संस्करण,

पृष्ठ 362-63"। वर्तमान मामले में नियम पूरी ताकत के साथ आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि अपेक्षित तरीके से समर्पण का गैर-सत्यापन इस प्रावधान के यथार्थ उद्देश्य को विफल कर देगा। समर्पण के सत्यापन को निर्धारित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रतिबंधित करने का विधायिका का इरादा इन प्रावधानों में निहित है। इसलिए, इन अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता ने समर्पण को दूषित कर दिया था और इसे धारा 5 (3) (बी) के उद्देश्य के लिए गैर-कानूनी बना दिया था। ”

30. इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा अधिभव एक अपील पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष विचाराधीन थी, लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान, पुलिस महानिदेशक ने खुद को महानिरीक्षक की शक्ति ग्रहण कर ली और रिट आवेदन के अनुलग्नक '10' में निहित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, जिसे बिहार पुलिस नियमावली के तहत निर्धारित प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में न्यायालय **काशी नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2019 (2) पी.एल.जे.आर. 293** (पूर्ण पीठ) में में प्रतिवेदित किया गया ने अभिनिर्धारित किया है कि बिहार पुलिस नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है और इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक, जिनके समक्ष अपील लंबित थी, ने अनुलग्नक '16' (याचिकाकर्ता के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न) के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस महानिदेशक द्वारा बिहार पुलिस नियमावली के नियम 853ए के तहत एक आदेश पारित किया गया है, अपील को खारिज कर दिया गया है। इस तरह कानून के अधिकार के बिना पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति ने याचिकाकर्ता की अपील को फलहीन बना दिया है।

31. इस स्तर पर, यह न्यायालय पत्र संख्या 63 (01 क्रियान्वयन) 2019-20-1296 महानिषेध दिनांक 24.11.2020 के पैराग्राफ '3' को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करेगाः पृष्ठ सं.-16/20 के कंडिका 31 का हिंदी में छपे कंडिका को अंकित करना है।

> "यदि किसी थाना क्षेत्र में राज्य स्तर/जिला स्तर पर प्राप्त आसूचनाओं के आधार पर राज्य/जिला स्तर से प्रतिनियुक्त छापामारी दल के द्वारा अवैध भाराब की बरामदगी की जाती हैं तो ऐसे मामलों से संबंधित थानाध्यक्ष एवं चौकीदारी पर आसूचना संकलन नहीं करने तथा आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के लिए दोशी माने जायेंगे तथा उनके इस विफलता एवं निश्क्रियता के लिये कठोर कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।"

32. वास्तव में, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध को समाप्त करने के लिए अपनी जांच रिपोर्ट में उपरोक्त कंडिका का उल्लेख किया है।

<u>दोषी माने जाने की अवधारणा</u>

33. एडवांस्ड लॉ लैक्सिकॉन, तीसरा संस्करण, खंड 2 डी-आई रिप्रिंट 2009 में 'डीम्ड' शब्द का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-

> "डीम्स का अर्थ है इस राय का है' या 'विचार करता है' या 'निर्णय लेता है' और राय के समक्ष उठाए जाने वाले कदमों का कोई निहितार्थ नहीं है राय बनाने के पूर्व या निर्णय लिया जाता है के समय लिया जाना है। " (आर. वी. ब्रिक्शन जेल गवर्नर पूर्व पी. सोब्लेन, 1963 2 क्यू बी 243: (1962) 3 सभी ई. आर. 641।

> 'डीम्ड' शब्द का सही पर्यायवाची शब्द 'जज्ड' है और अर्थ के अन्य रंग बाद में आए। जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कानून में 'मानित' शब्द का उपयोग

किया जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि विधायिका उचित विचार के बाद उस स्थिति या विशेषता को किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रदान करने में अपने निर्णय का प्रयोग करती है। एम. आर. मेहहोत्रा बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1958 सभी 492, 498."

34. ऊपर चर्चा की गई सभी सामग्रियों को देखने के बाद, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरोप तय करने में ही एक अंतर्निहित दोष था क्योंकि इसके मात्र अवलोकन से पता चलेगा कि यह पुलिस महानिदेशक, बिहार के निर्देश पर तैयार किया गया था पत्र सं. 48 तारीख 29.11.2020 के माध्यम से जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक '1') था। इस पत्र में पुलिस महानिदेशक ने पत्र संख्या 63, दिनांक 24.11.2022, कंडिका 3 में निहित अपने स्वयं के निर्देश का उल्लेख किया है। जिसमें थाना क्षेत्र से अवैध शराब की बरामदगी के मामले में एस. एच. ओ. और चौकीदार के अपराध का पूर्व निर्णय लिया गया है। इसकी कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है। एक बार जब पुलिस महानिदेशक ने एस. एस. पी. को यह निर्देश जारी कर दिया, तो एस.एस.सी/एस. जी के पास अपने स्वयं के स्वतंत्रता विचार को लागू करने का कोई अवसर नहीं था कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या उसके खिलाफ किस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। यह निर्देश पुलिस के शीर्ष सोपानक से आ रहा था जैसे की कंकड़बाग थाना क्षेत्र से 25 लीटर की शराब की केवल बरामदगी पर, उक्त थाना के प्रभारी अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता है।

35. इस न्यायालय की राय में, पत्र सं. 63 (1 क्रियान्वयन) 2019-20-1296 महानिषेध दिनांक 24.11.2020 की कंडिका 3 जिसने शुरू से ही पूरी कार्यवाही को प्रभावित किया है, पैराग्राफ '3' आरोप तय करने से पहले ही अपराध की धारणा पैदा करता है, इसलिए, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने से पहले ही अपराध अनुमानित और माना गया है। अपराध के इस तरह के

अनुमान को कानून की कोई मंजूरी नहीं है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है।

36. यह अदालत पहले ही देख चुकी है कि जांच के दौरान केवल दो विभागीय गवाह आए और उन्होंने आदेश पर केवल संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर साबित किए। यह कहने के लिए एक भी गवाह नहीं है कि कैसे कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने लापरवाही से काम किया और कंकड़बाग क्षेत्र में सूचना एकत्र करने और निषेध कानूनों को लागू करने में विफल रहने के कारण, भट्टी या कारखाने का अवैध संचालन या शराब की अवैध बिक्री हुई है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि जांच के दौरान एक भी उदाहरण का हवाला नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता की सेवा के दौरान, उसी क्षेत्र से बार-बार वसूली की गई थी।

37. इस अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति में विभागीय गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी और उन्हें उनसे जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस तथ्य का याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया है लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा इनकार नहीं किया गया है।

38. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने कारण बताए बिना विवादित आदेश पारित किया है और आगे अपील के लंबित रहने के दौरान पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना सजा बढ़ाने का आदेश पारित किया है।

39. इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही (आरोप तय करने के चरण से) दूषित हो गई है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

40. यह न्यायालय, तदनुसार, विवादित आदेशों को दरकिनार करता है और इस रिट आवेदन को अनुमति देता है।

41. याचिकाकर्ता सभी परिणामी राहतों का हकदार होगा। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना (प्रतिवादी सं. 4) इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक परिणामी आदेश जारी करेगा।

42. इस न्यायालय के इस आदेश से अलग होने से पहले, ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना (प्रतिवादी नं. 4 को) पत्र संख्या 63 (01 क्रियान्यवयन) 2019-20-1296 महानिषेध दिनांक 24.11.2020 के कंडिका 3 पर पुनः विचार करने जो आरोप तय करने और एक स्वतंत्रता जांच के संचालन से पहले ही स्टेशन हाउस अधिकारी और चौकीदार के खिलाफ अपराध को मानता है और पूर्व-निर्णय देता है। इसकी कानूनी की कोई मंजूरी नहीं है। इस मामले में इस शर्त के कारण आरोप तय करने से लेकर पूरी कार्यवाही प्रभावित हुई है और याचिकाकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

43. इस लिखित आवेदन की अनुमति है।

(राजीव रंजन प्रसाद न्यायाधीश)

राजीव/तुषारीका

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।